

डिफ्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

--: वादीगण ::-

बनाम

--: प्रतिवादीगण ::-

1. पहलाद पुत्र परबूराम
 2. पप्पूराम पुत्र परबूराम
 3. गौतम पुत्र परबूराम
 4. बद्रीलाल पुत्र परबूराम
 5. रमेश पुत्र परबूराम
- जाति रेगर, निवासी बलाड़ा
तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. पारसराम पुत्र घेवरराम
 2. श्रवणलाल पुत्र घेवरराम
 3. सायरी बेवा घेवरराम
 4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण।
- जाति रेगर, निवासी बलाड़ा
तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0: 77/2019 (176/2012)

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, डांवर राम चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 एवं 09, 10(क) सी.पी.सी. के भलीभांति साबित होने और सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तथा साथ ही इसके फलस्वरूप वादीगण का वादपत्र परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक- विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की विहित परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होने से जरिये अबेटमेन्ट खारिज/अस्वीकार किया जाता है। प्रत्रावली इसी कदर शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीजमुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तकको अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/09/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00		स्टाम्प वकालतनामा	3.00	
स्टाम्प वकालतनामा	2.00		स्टाम्प अर्जी	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	07.00		मिजान:-	4.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिफ्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।